न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर

जगदीश बनाम रमेश वगै.

मु. नं. 187/2015

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली अन्तिम तर्क दिनांक 22/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर
	22/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में स्थित प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुये मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किये गये मुद्दों को मद्देनजर न्यायगत प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस न्यायगत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज सुनाया जाकर इजलास उठाया गया। पत्रावली केसल रजिस्टर होकर नियमानुसार की जावे। वकालतनामे वापिस करें। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर